महत्वपूर्ण / द्वारा फैक्स / ई-मेल

उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ-226006
फोन: 0522-2337455
फैक्स नम्बर-0522-2337453
सीयूजी नम्बर-9454400136
Email:pachead@uppac.net

पत्रांक: पीएसी-तीन-700(प्रा०फ०)/2019/404
दिनांक: मार्च 08,2019

सेवा में,

समस्त सेनानायक,
पीएसी वाहिनी उ0प्र0।

विषयः- पीएसी में उच्चकोटि की मूंछ रखने वाले जवानों को प्रोत्साहन धनराशि से पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया पीएसी मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या पीएसी-दो-कुम्भ मेला (1)/2019 दिनांक 16-01-2019 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। इस पत्र के माध्यम से पीएसी में उच्चकोटि की मूंछ रखने वाले जवानों को प्रोत्साहन धनराशि से पुरस्कृत किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पीएसी बल की कई पीएसी वाहिनियों में कतिपय जवानों को मूंछ रखने वाले जवानों को प्राइवेट फण्ड से प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक माह रू0 50/- मात्र की धनराशि से पुरस्कृत किया जा रहा है, जो मूंछ के रख-रखाव एवं उसके सम्बल की दृष्टि से अत्यन्त अल्प है।

3- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पीएसी मुख्यालय स्तर पर विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में **पीएसी में उच्चकोटि की मूंछ रखने वाले जवानों को प्रोत्साहन धनराशि से पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश निर्गत किये जा रहे हैः-**

(1) समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहिनी में नियुक्त ऐसे जवान जिनकी मूंछ उच्चकोटि की है, उनका चिन्हाकन कर लें। मूंछ के उच्चकोटि के होने के सम्बन्ध में सेनानायक द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति सम्बन्धित जवान के मूंछ के उच्चकोटि के होने का पूर्ण परीक्षण करके अमुक जवान की तदनुसार पात्रता का निर्धारण करेगी।

(2) यहां यह उल्लेख करना है कि पीएसी के सुसगंत लेखाशीर्षक के मानक मदों में उच्चकोटि की मूंछ रखने वाले जवानों को प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि समिति द्वारा जिस जवान की मूंछ के

उच्चकोटि के होने का निर्धारण/ चयन किया जाता है, उसे वाहिनी के सुसंगत प्राइवेट फण्ड सम्बन्धित जवान को प्रोत्साहन धनराशि से पुरस्कृत किये जाने की कार्यवाही वाहिनी के सेनानायक द्वारा की जायेगी।

(3) सेनानायक का यह दायित्व होगा **वर्ष में एक या दो बार अथवा आवश्यकतानुसार** सम्बन्धित जवान के मूंछ के उच्चकोटि के होने का परीक्षण समिति से करा सकती है। समिति की आख्या के आधार पर मूंछ के उच्चकोटि के होने अथवा नहीं होने या प्रोत्साहन धनराशि से पुरस्कृत किये जाने की कार्यवाही को आगे बढ़ाने अथवा नहीं बढ़ाने का निर्णय सेनानायक द्वारा लिया जा सकता है। **पीएसी में उच्चकोटि की मूंछ रखने वाले जवानों को प्रोत्साहन धनराशि से पुरस्कृत किये जाने का निर्णय सम्बन्धित वाहिनी के सेनानायक द्वारा लिया जायेगा, जो मान्य होगा।**

(4) **पीएसी के जिन जवानों को उच्चकोटि की मूंछ रखने पर प्रोत्साहन धनराशि के रूप में प्रतिमाह रू0 50/– से पुरस्कृत किया जा रहा है, यह वर्तमान परिवेश में अल्पमात्र का होने के कारण इसमें बढ़ोत्तरी करते हुये प्रतिमाह रू0 200/– (रू0 दो सौ मात्र) निर्धारित किया जाता है।** पीएसी वाहिनी के सम्बन्धित सेनानायक द्वारा चयनित/पूर्व से पा रहे जवानों को उच्चकोटि की मूंछ रखने पर नियमानुसार प्राइवेट फण्ड (BAF) से पुरस्कृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

4– अतः अनुरोध है कि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(विनोद कुमार सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक (पी/ई), पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ0प्र0।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक (पी/ई), पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0।
4– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।
5– अपर पुलिस अधीक्षक (ई/पी), पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0।
6– स्टाफ आफिसर, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–2, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को पत्र संख्या पीएसी–दो–कुम्भ मेला (1)/2019 दिनांक 16–01–2019 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ कि इसकी एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली एवं एक प्रति गार्ड फाइल पर रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।